

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 28, 2020

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच को उनके सामने कॉलम संख्या 3 में वर्णित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के रूप में स्थापित करती है तथा ऐसे स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग का क्षेत्राधिकार उनके सामने उक्त सारणी के कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा।

सारणी		क्षेत्राधिकार
क्र. सं.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच का नाम	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग का नाम
1	2	3
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, अजमेर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, अजमेर
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, अलवर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, अलवर
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, बांसवाड़ा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, बांसवाड़ा
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, बांरा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, बांरा
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, बाड़मेर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, बाड़मेर
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, भरतपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, भरतपुर
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, भीलवाड़ा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, भीलवाड़ा
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, बीकानेर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, बीकानेर
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, बून्दी	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, बून्दी
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, चित्तौड़गढ़	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, चित्तौड़गढ़
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, चूरू	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, चूरू
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, दौसा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, दौसा
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, धौलपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, धौलपुर
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, झुंजरपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, झुंजरपुर
15	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, श्रीगंगानगर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, श्रीगंगानगर
16	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, हनुमानगढ़	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, हनुमानगढ़
17	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, जयपुर (प्रथम)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, जयपुर (प्रथम)
18	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, जयपुर (द्वितीय)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, जयपुर (द्वितीय)
19	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध मंच, जयपुर (तृतीय)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, जयपुर (तृतीय)

आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर, राजस्थान
वेबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई-मेल आई.डी. : ddca72@gmail.com दूरभाष नं. : 0141-2209756
D:/2020/Notification 2020/2



			विराटनगर, मनोहरपुर, जमवारागढ़, आंधी, चंदवाजी (आरक्षी केन्द्र/थाने में आने वाला क्षेत्र)
20	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर (चतुर्थ)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर (चतुर्थ)	मानसरोवर, शिप्रापथ, मुहाना, शिवदासपुरा, अशोक नगर, विधायकपुरी, ज्योति नगर, सोडाला, थ्याम नगर, महेश नगर, चाकसू, सांगानेर सदर (आरक्षी केन्द्र/थाने में आने वाला क्षेत्र)
21	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जैसलमेर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जैसलमेर	सम्पूर्ण राजस्व जिला, जैसलमेर
22	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जालौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जालौर	सम्पूर्ण राजस्व जिला, जालौर
23	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, झालावाड़	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झालावाड़	सम्पूर्ण राजस्व जिला, झालावाड़
24	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, झुन्झुनू	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झुन्झुनू	सम्पूर्ण राजस्व जिला, झुन्झुनू
25	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर (प्रथम)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर (प्रथम)	विलाडा, भोपालगढ़, पीपाड शहर, ओसिया, खंडपा, मोजामर, बालेसर, शेरगढ़, देवू, फलीदी, लोहावट, वाप, जाम्वा (आरक्षी केन्द्र/थाने में आने वाला क्षेत्र)
26	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर (द्वितीय)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर (द्वितीय)	महामन्दिर, उदय मन्दिर, रातानाडा, सदर बाजार, खाण्डा, फालसा, सरदारपुरा, शास्त्री नगर, वामनी, प्रताप नगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सूरसागर, लूणी, मथानिया, झंवर (आरक्षी केन्द्र/थाने में आने वाला क्षेत्र)
27	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, करौली	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, करौली	सम्पूर्ण राजस्व जिला, करौली
28	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोटा	सम्पूर्ण राजस्व जिला, कोटा
29	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, नागौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर	सम्पूर्ण राजस्व जिला, नागौर
30	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, पाली	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पाली	सम्पूर्ण राजस्व जिला, पाली
31	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, प्रतापगढ़	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रतापगढ़	सम्पूर्ण राजस्व जिला, प्रतापगढ़
32	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, राजसमंद	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजसमंद	सम्पूर्ण राजस्व जिला, राजसमंद
33	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, सवाई माधोपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सवाई माधोपुर	सम्पूर्ण राजस्व जिला, सवाई माधोपुर
34	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, सीकर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीकर	सम्पूर्ण राजस्व जिला, सीकर
35	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, सिरोही	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिरोही	सम्पूर्ण राजस्व जिला, सिरोही
36	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, टोंक	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, टोंक	सम्पूर्ण राजस्व जिला, टोंक
37	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, उदयपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उदयपुर	सम्पूर्ण राजस्व जिला, उदयपुर

क्रमांक एफ 89(9)उ0मा0वि0/उ0स0/2020

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(महेन्द्र सिंह राठौड़)

उप शासन सचिव



आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर, राजस्थान
वेबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई-मेल आई.डी. : ddca72@gmail.com दूरभाष नं. : 0141-2209756
D:\2020/Notification 2020\3

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (जिला), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संभागीय उपभोक्ता कलक्टर, राजस्थान।
10. पंजीयक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
11. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त, जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
14. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

(बी.जी. मुराणा)
उप निदेशक (निधि एवं संस्थापन)
पदेन उप राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी



राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : rscdrc.food.rajabasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-रा.आ./स्था/ 46 to 83

प्रतिलिपि:-समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान को सूचनार्थ एवं दिनांक: 06-01-2021

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(बी.एस. पांडिया)
रजिस्ट्रार

आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर, राजस्थान
वेबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई-मेल आई.डी. : ddca72@gmail.com दूरभाष नं. : 0141-2209756
D:\2020\Notification 2020\4